मा0 उच्च न्यायालय के आदेशो का अनुपालन
संख्या:3606 / नौ–5–2016–29रिट / 2014

प्रेषक,

डा0 अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4–समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत (द्वारा जिलाधिकारी)
5–समस्त मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 09 नवम्बर, 2016

विषयः– वायु प्रदूषण / स्मॉग तत्काल रोकने हेतु विशेष अभियान।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–3355 / नौ–5–2016–29रिट / 2014, दिनांक 04.11.2016 एवं संख्या–3595 / नौ–5–2016–29रिट / 2014, दिनांक 08.11.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित अप्लीकेशन संख्या–21 / 2014 वर्धमान कौशिक एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.11.2016 एवं वायु प्रदूषण को रोके जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा दिनांक 07.11.2016 को लिये गये स्वतः संज्ञान के सम्बन्ध में दिनांक 08.11.2016 को दिये गये निर्देशों तथा सिविल मिस रिट याचिका संख्या– 26791 / 2016 अजमल खान बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं सम्बद्ध रिट याचिका संख्या–26792 / 2016 महिमा पाहवा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.11.2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

2– मा0 उच्च न्यायालय,लखनऊ बेंच लखनऊ द्वारा प्रकरण में दिनांक 09.11.2016 को सुनवाई के उपरान्त मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1761 / पी0एस0एम0एस0 / 2016 दिनांक 08.11.2016 (प्रति संलग्न) द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही किये जाने तथा कृत कार्यवाही सम्बन्धी अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये है। मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1761 / पी0एस0एम0एस0 / 2016 दिनांक

08.11.2016 में उल्लिखित कार्यवाही में से नगर विकास विभाग से सम्बन्धित कार्यवाही के अंश निम्नवत है:-

"शहरों एवं नगरीय क्षेत्रों में किसी भी स्थान पर कूड़ा एकत्रित न होने पाये और एकत्रित कूड़े को किसी भी दशा में जलाया न जाये। शहरों एवं नगरीय क्षेत्रों में सड़कों की सफाई कराते समय यह भी सुनिश्चित कराया जाय कि सड़कों से धूल न उठने देने के लिये आवश्यकतानुसार पानी का छिड़काव भी कराया जाये, ताकि वायु प्रदूषण को रोका जा सके। पॉलीथीन के उपयोग पर लगाये गये प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से कियान्वयन कराने हेतु ऐसे लोगों के विरूद्ध अभियान चलाकर कड़ी से कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। इस व्यवस्था को विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले जनपदों में ध्यानपूर्वक व कड़ाई से लागू किया जाए।"

3— उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण में शासन के सन्दर्भित पत्र दिनांक 04.11.2016 एवं दिनांक 08.11.2016 द्वारा दिये गये निर्देशों के साथ ही उपरोक्तानुसार कार्यवाही विशेष अभियान चलाकर प्रतिदिन संकलित रिपोर्ट निदेशक, स्थानीय निकाय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक यथोक्त:

भवदीय,

(डा0 अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।

2— स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

3— निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया समस्त नागर निकायों से संकलित सूचना प्राप्त कर प्रतिदिन शासन को उपलब्ध करायें एवं दिनांक 09.11.2016 की वांछित सूचना शासन को उपलब्ध न कराने हेतु स्थिति भी स्पष्ट करने का कष्ट करें।

4— श्री डी0के0 सिन्हा, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद—नोडल अधिकारी।

आज्ञा से,

09/11/16

(डा0 अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।